निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-34/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-**I**, वाणिज्य कर विकासनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-**I**, वाणिज्य कर विकासनगर के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री निखिल गोस्वामी, व0ले0प0 एवं श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी0एम0त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.06.17 से 24.06.17 तक सम्पादित किया गया।

<u>भाग-**I**</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री निखिल गोस्वामी व0ले0प0 एवं श्री हिमाशु मणि एवं श्री विनय कुमार दिवेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के द्वारा दिनांक 25.10.2016 से 03.11.2016 तक श्री अशोक कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 04/2012 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2016 से 03/2017तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - संविदाकार, ट्रेडर्स (सु दोवाला से डाकपत्थर तक दायी ओर)

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2014-15	494.00
2015—16	615.66
2016-17	1122.47

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	-	-	233.17	223.57	-	-
2015—16	-	-	-	-	251.23	232.06	-	-
2016-17	-	-	-	-	300.95	258.13	-	-

(l) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -.....बी..--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव वित्त **>**अपर सचिव**>**आयुक्त कर (वाणिज्य कर)**>** एडिशनल कमिश्नर (वाणिज्य कर)**>** ज्वाइंट कमिश्नर, (वाणिज्य कर)**>** डिप्टी कमिश्नर (वाणिज्य कर)**>** सहायक आयुक्त (वाणिज्य कर)**>** वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में सुद्धोवाला से डाकपत्थर, यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-**I**, वाणिज्य कर विकासनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह..... को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह .....02/2017 ...को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

STAN

STAN-1 अंकगणीतीय त्रुटि के कारण राजस्व क्षति ₹ 0.03 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(i)(आ) के प्रावधानों के अनुसार अनुसुची II (ख) मे विनिर्दिष्ट माल पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-**I**, वाणिज्य कर विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री पंवार इण्डेन ग्रामीण वितरक क0नि0 वर्ष 2013-14 मे हाऊस पाईप व एल0पी0जी0 गैस की कुल बिक्री ₹ 5483693/- पर 5 प्रतिशत की दर से ₹ 271185/- का स्वीकृत कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया था। जबकि उपरोक्त बिक्री पर 5 की दर से ₹ 274185/- का कर आरोपित होना चाहिए था।

इस प्रकार उपरोक्त बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से अंकगणीतीय त्रुटि के कारण ₹ 2999/- (274185-271185) का अतिरिक्त कर ब्यापारी पर आरोपणीय होगा, जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि त्रुटिवश हो गया है जिसका सुधार कर लिया जायेगा

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया गया।

भाग-II 'ख'

प्रस्तर संख्या-1 कर का न्यूनारोपण 0.42 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-4(2)(i) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित माल से भिन्न माल के बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-**I**, वाणिज्य कर विकासनगर अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री चन्दर सेल्स क0नि0 वर्ष 2013-14 के मे इलैक्ट्रीक वायर, केविल की कुल बिक्री ₹ 499512/- का किया गया था। जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5% की दर से कर आरोपित किया गया था। जबकि उपरोक्त वस्तु किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित न होने के कारण 13.5 के दर से कर आरोपित होना चाहिए था।

इस प्रकार संगत वर्ष मे व्यापारी द्वारा की गयी इलैक्ट्रीक वायर को बिक्री ₹499512/- पर अन्तरीय दर 8.5% से ₹42458/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बतया गया कि संबंधित वस्तु अनुसूची-II -B के क्रम सं0- 59 मे होने के कारण सही दर से कर कर आरोपित प्रतीत होता है।

विभाग का उत्तर मान्य नही होगा क्योंकि व्यापारी द्वारा बिक्री वस्तु इलैक्ट्रीक वायर, केविल है। जबकि अनुसूची-IIB के क्र0सं0 59 पर सिर्फ इण्डस्ट्रीयल केविल के संबंध मे कहा गया है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया गया है।

भाग-**II** **'ख'**

प्रस्तर संख्या-2 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 0.10 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58 (1)(Vii) के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यापारी द्वारा बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के अपना स्वीकृत कर विलम्ब से जमा किया जाता है तो कम से कम देय कर का 10 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-I, वाणिज्य कर विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री यमुना सेल्स एजेन्सी क0नि0 वर्ष 2013-14 में बीड़ी की कुल बिक्री ₹5364300/- पर 8% की दर से ₹ 429144/- का स्वीकृत कर आरोपित किया गया था। व्यापारी द्वारा अपना स्वीकृत कर बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के माह, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं नवम्बर 2013 का कुल कर ₹103525/- विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 10 प्रतिशत की दर से ₹ 10352/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया गया।

भाग-**III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
43/2005-06	-	1
39/2008-09	3(क) प्रस्तर-1	3(ख) प्रस्तर-2,3,4,5
35/2009-10	3(क) प्रस्तर-1	3(ख) प्रस्तर-1
43/2012-13	-	1
20/2016-17	-	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण **:** शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-**I**, वाणिज्य कर विकासनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री योगेश मिश्रा	असिस्टेंट कमिश्नर
(ii)	श्री कमलेश कुमार	वाणिज्य कर अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-**I**, वाणिज्य कर विकासनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र